**No.I-27011/2/2017-Coord.**
**Government of India**
**Ministry of Corporate Affairs**

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 16.11.2017

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of October, 2017 is enclosed for information.

**(Nilratan Das)**
**Under Secretary to the Govt. of India**
**Tele: 23389622**

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Secretary to the Vice- President of India, Cabinet Secretariat, New Delhi.
3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

**Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of October, 2017"**

**(Nilratan Das)**
**Under Secretary to the Govt. of India**

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

**IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF OCTOBER, 2017**

(1) Circulars:-

This Ministry has issued two circulars vide no. 13/2017 and 14/2017 with regard to relaxation of additional fees and extension of last date of filing of AOC-4 XBRL E-Forms using Ind AS, AOC-4 and AOC-4 (XBRL non-Ind AS) under the Companies Act, 2013.

(2) Notifications:-

(i) The provisions of section 247 of the Companies Act, 2013 [Valuation by registered valuers] were commenced with effect from 18th October, 2017. A commencement notification and Companies (Registered Valuers & Valuation) Rules, 2017 were issued on the same date.

(ii) A notification under section 458 of the Companies Act, 2013 [CA-13] was issued on 23rd October, 2017 delegating the functions of registering the valuers under section 247 of the CA-13 to the Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI). An order under section 470 was also issued on 23rd October, 2017 with regard to Section 247 of CA-13 clarifying that a valuer has to be a member of a valuation organization for being registered under the section and providing for recognition of such organizations.

(3) The number of Companies struck off u/s 248(5) has increased to 2,24,733 from the earlier reported figure of 2,09,032 vide D.O of even number dated 08.09.2017.

(4) The number of Directors disqualified u/s 164(2)(a) r/w 167(1)(a) of the Act has increased to 3,09,614.

(5) Certain cases have been filed challenging the action of the Ministry to justify the disqualified directors and interim stay have been granted in 75 no of cases. The Ministry is defending such proceeding on case to case basic.

सं. आई-27011/2/2017-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 16 नवंबर, 2017

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अक्तूबर, 2017 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाषः 23389622

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

**प्रतिलिपि प्रेषितः** (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का अक्तूबर, 2017 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए**

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

भारत सरकार के अवर सचिव

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**अक्तूबर, 2017 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां**

(1) परिपत्रः-

इस मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन इंडएएस का प्रयोग करते हुए एओसी-4 एक्सबीआरएल ई-प्ररूप, एओसी-4 और एओसी-4(एक्सबीआरएल नॉन-इंडएएस) की फाइलिंग के लिए अतिरिक्त फीस में छूट देने और फाइलिंग की अंतिम तारीख बढाने के संबंध में संख्या 13/2017 और 14/2017 के माध्यम से दो परिपत्र जारी किए हैं।

(2) अधिसूचनाएं:-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के प्रावधान (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा मूल्यांकन) 18 अक्तूबर, 2017 से प्रवृत्त किए गए। प्रारंभ अधिसूचना और कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 इसी तारीख को जारी किए गए।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के अधीन एक अधिसूचना 23 अक्तूबर, 2017 को जारी की गई जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अधीन मूल्यांककों के रजिस्ट्रीकरण का कार्य भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) को सौंपा गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के संबंध में 23 अक्तूबर, 2017 को धारा 470 के अधीन एक आदेश भी जारी किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किसी मूल्यांकक को इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जा रहे मूल्यांकन संगठन का सदस्य होना चाहिए और ऐसे संगठनों को मान्यता देने का प्रावधान किया गया।

(3) धारा 248(5) के अधीन जिन कंपनियों का नाम काटा गया है, उनकी संख्या दिनांक 08.09.2017 के समसंख्यक अ.शा.पत्र द्वारा सूचित पहले की संख्या 2,09,032 से बढ़कर 2,24,733 हो गई है।

(4) इस अधिनियम की धारा 167 (1)(क) के साथ पठित धारा 164(2)(क) के अधीन अयोग्य निदेशकों की संख्या बढ़कर 3,09,614 हो गई है।

(5) इस मंत्रालय द्वारा अयोग्य निदेशकों का औचित्य दर्शाने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कुछ मामले फाइल किए गए हैं और 75 मामलों में अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया है। यह मंत्रालय मामला दर मामला आधार पर इन मामलों में कार्रवाई कर रहा है।